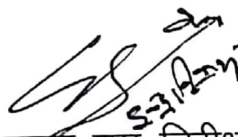


परियोजना का नाम:—जनपद—ऊधमसिंह नगर के में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-74 के 239 कि०मी० (सिरसामोड़) कैम्प रोड से शक्तिफार्म तक मोटर निर्माण के लिए क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 24.042 है० राज्य सिविल भूमि विभाग के नाम हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में।

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि का अन्य प्रयोजन हेतु भारित न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद—ऊधमसिंह नगर में सितारगंज विधान सभा के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-74 के 239 कि०मी० (सिरसामोड़) कैम्प रोड से शक्तिफार्म तक मोटर निर्माण में प्रभावित होने वाली 29.712 हेक्टेयर वन भूमि के क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए 24.042 हेक्टेयर राज्य सरकार के स्वामित्व वाली सिविल सोयम भूमि का चयन ग्राम:— दुधलादयालवाला, तहसील:— हरिद्वार एवं जनपद:— हरिद्वार में किया गया है। उक्त भूमि राज्य सरकार के स्वामित्व की है। एव राज्य के अभिलेखों में खाता सं० 221 के खसरा सं० 370ग के अन्तर्गत श्रेणी 5(3) (वंजर भूमि) में दर्ज है। उक्त भूमि किसी अन्य प्रयोजन हेतु भारित नहीं है। उक्त 24.042 हेक्टेयर भूमि की खतौनी संलग्न की गई है।


राजस्व उप निरीक्षक,
गैण्डीखाता


राजस्व निरीक्षक,
फेरुपुर


तहसीलदार,
हरिद्वार।

C.S
17/02/18

(मजीप कुमार सिंह)
उप जिलाधिकारी
हरिद्वार



(Er. ASHOK KUMAR)
District Engineer
Constn. Dept. P.W.D. Haridwar
P.W.D. Roadways & Bridges